न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 3/39/2022
जीसीएमएस न0:—2022/740

दायर दिनांकः— 11/11/2022
निर्णय दिनांक 21/06/2024

बउनवान

1. जगराम पुत्र रामजीलाल जाति जाटव निवासी इन्द्रा कॉलोनी तहसील कठूमर जिला अलवर।

—प्रार्थी

बनाम

1. रमेश पुत्र सुगनी जाति जाटव निवासी इन्द्रा कॉलोनी तहसील कठूमर जिला अलवर।

— अप्रार्थी

2. जलसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाटव निवासी इन्द्रा कॉलोनी तहसील कठूमर जिला अलवर।

—तरतीवी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू— राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितिः—1.श्री राधावल्लभ शर्मा— अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री सुभाषचन्द्र अर्रूवा-- अधिवक्ता अप्रार्थी

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि आराजी खसरा नम्बर 1686/1805 रकबा 0.20 हैक्ट0 वाके ग्राम तसई ए तहसील कठूमर मे स्थित है। जो आराजी प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रेकॉर्ड आराजी है। जिस पर प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। आराजी खसरा नम्बर 1686 रकबा 0.26 हैक्ट0 वाके ग्राम तसई ए तहसील कठूमर अप्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, जिस पर अप्रार्थी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। आराजी खसरा नम्बर 1686/1805 व

21.6.24
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

आराजी खसरा नम्बर 1685 के भिडवां स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थी के दोनों खेतों के बीच पहले कच्ची मेड स्थित थी जिसको अप्रार्थी ने धीरे–धीरे बीच में स्थित मेड को खत्म कर 2 गठ्ठा डौल (मेड) को तोड कर उस पर पत्थरों को उखाडकर अपने खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1686 की आराजी में मिलाकर कब्जा बनाये हुये है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से कहा कि दोनों के खेतों की पैमाईश करवा के बीच में डौर डाल देते है, तो अप्रार्थी ने पैमाईश के लिये भी मना कर दिया। जिस कारण प्रार्थी स्वयं के खेत खसरा नम्बर 1686/1805 की पैमाइश करा कर दोनों खेतों के मध्य पत्थरगढी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी ने उक्त आराजी की पैमाइश कराकर सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तामीली नोटिस जरिये डाक भिजवाया गया। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उनके वकील हाजिर अदालत आये, लेकिन समय पर जवाब पेश ना करने कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21.05.2024 को बन्द कर दिया गया एवं तरतीवी अप्रार्थी से वकील प्रार्थी कोई रिलिफ नही चाहते है उनको दिनांक 21.06.2024 को प्रार्थना पत्र से तर्क कर दिया गया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ सत्य प्रतिलिपी जमाबन्दी हाल व छाया प्रति वाके ग्राम तसई ए की छाया प्रति पेश की है, जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों, प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी। मुताबिक जमाबन्दी आराजी खसरा नम्बर 1686/1805 ग्राम तसई ए तहसील कठूमर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। मुताबिक जमाबन्दी इस आराजी के तरफ पूर्व चपेटवां में खसरा नम्बर 1685 वाके ग्राम तसई ए स्थत है, जो अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थी के दोनों खेतों के बीच पहले कच्ची मेड स्थित थी, जिसको अप्रार्थी ने धीरे–धीरे बीच में स्थित मेड को खत्म कर 2 गठ्ठा डौल (मेड) को तोड कर उस पर पत्थरों को उखाडकर अपने खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1685 की आराजी में मिलाकर कब्जा बनाये हुये है।जो कि बिना किसी पैमाईश के है। प्रार्थी की जमीन को अपने हिस्से की आराजी में मिला ली है, जिसके लिये प्रार्थी ने पैमाइश कराने व सीमाज्ञान के पश्चात् पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब बन्द किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 2 को प्रार्थना पत्र से तर्क किया गया। पत्रावली के तथ्यों, प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

21.6.24

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

–:आदेश:–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेशित किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 1686/1805 रकबा 0.20 हैक्ट0 वाके ग्राम तसई ए की पैमाइश कर खसरा नम्बर 1685 व खसरा नम्बर 1686/1805 वाके ग्राम तसई ए के बीच विधि के अनुसार पैमाइस/सीमाज्ञान कराकर प्रार्थी के खर्चे पर पत्थरगढी कराकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। आदेश की तहरीर तहसीलदार कठूमर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर होकर दाखिल दफ्तर हो। सुनाया।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.6.24

सुखराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)